**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 2136**

उत्तर देने की तारीखः 12.05.2016

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना**

**2136. श्री राजीव शुक्लः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों की हाल ही में बढ़ाई गई फीस की समीक्षा करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

 **उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**)श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): जी, नहीं।

(ख): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शिक्षा-शुल्क में अनुमोदित संशोधन के अनुसार, आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़े छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 1 लाख रूपय से कम है) को शुल्क से पूरी तरह छूट मिलेगी और आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य छात्र (जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 1 लाख रूपए से 5 लाख रूपए के बीच है) शुल्क में दो-तिहाई की छूट प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में तकनीकी शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु दाखिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए सांविधिक आरक्षण का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को निभाने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े उन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला नहीं पा सके थे परन्तु उन्हें शिथिल मानकों, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए सामान्य कट-आफ अंकों का 50% है, के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रीपरेटरी कक्षाओं में दाखिला दिया गया है। प्रीपरेटरी पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इन छात्रों को सीधे अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले का प्रस्ताव किया जाता है।

\*\*\*\*\*